न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 121/2025

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. ग्राम पंचायत, जावाल जरिये प्रशासक/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही
2. राजीदेवी पत्नी गलबाजी, जाति–मेघवाल, निवासी–जावाल, तह0 व जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही (प्रार्थी निगरानीकार)

–: निर्णय :– **दिनांक 19 नवम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 12–3–2021 एवं अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 15–3–2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये, लेकिन अप्रार्थीगण को नोटिस की तामिल होने के बावजूद उपस्थित नही हुये एवं न ही जबाव प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पं0स0 सिरोही की आज दिनांक 19–11–2025 को बहस सुनी गई।

(3) बहस के दौरान श्री हरिराम, सहायक विकास अधिकारी, पं0स0, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित हुए यह व्यक्त किया कि तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच हेतु उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयुपर के पत्र कमांक एफ 139(48)/पट्टा जांच/सिरोही/विधी/पं.स./2022/807 दिनांक 24–6–2022 के तहत तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल के पट्टों की जांच के सम्बन्ध में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिरोही के आदेश क्रमांक 559–65 दिनांक 23–07–2022 के द्वारा जांच कमेटी गठित की गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–03–2021 के द्वारा तत्कालीन ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा बुक संख्या 560 से जारी पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 15–3–2021 में अनियमितता बरती जाने के कारण उक्त निगरानी आवेदन प्रार्थी की ओर से अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अन्तर्गत पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है जिसके अनुसार जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृहों पर कब्जा रखते है और पट्टा जारी कराए जाने के इच्छुक है, वहां उन्हे दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के लिए 200/– रूपये की राशि वसूल कर प्रारूप 23 (क) में पट्टा जारी किया जा सकता है। इस नियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पत्रावली संख्या 104 दिनांक 22–1–2021 के तहत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) को पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 15–3–2021 को जारी किया गया

.......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने हेतु दिया हुआ है, जिस भूमि संबंधी कोई विवरण दर्ज नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का कोई विवरण ग्राम पंचायत की पत्रावली में दर्ज नही है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच एवं किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की पालना नही की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत अंतिम रूप से यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर–भीतर आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उपरोक्त पत्रावली में उक्त नियम की पालना नही की गई है। उक्त जारी विक्रय विलेख में पत्रावली में आवेदन पत्र में आवेदन की तिथि व स्थान अंकित नही किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था जो कि नही किया गया है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12–3–2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा संधारित मिसल कार्यवाही विवरण के किसी भी टिप्पणी पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर साक्षी के हस्ताक्षर नही है। आवेदन पत्र के साथ भूखण्ड़ की रंगीन फोटो के पृष्ठ पर कोई फोटो चस्पा नही है। नजरी नक्शें पर आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि नियमन/विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण, पंचायत की पत्रावली में मौजूद नही है। जांच रिपोर्ट अनुसार आज्ञाओं की सूची पर सरपंच के हस्ताक्षरों का अभाव व वार्डपंचों की गठित कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर का अभाव, नक्शा फार्म पर प्रार्थी एवं सरपंच के हस्ताक्षर का अभाव है। इस प्रकार, उक्त पट्टा विलेख जारी करने की कार्यवाही पूर्णतया दोषपूर्ण है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष जारी पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 15–3–2021 को निरस्त किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 15–3–2021 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के अर्न्तगत, जहां व्यक्ति आबादी भूमि में पुराने गृह का कब्जा रखते है और पट्टा जारी किये जाने के इच्छुक है वहां उन्हें निम्नलिखित प्रभार निक्षिप्त कराने के पश्चात् प्रारुप 23–क में पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगाः–

(i) 300 वर्गगज तक के क्षेत्रफल के लिए 300 वर्गगज अधिकतम क्षेत्रफल के अध्यधीन रहते हुए 25 प्रतिशत संनिर्मित क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए संनिर्मित क्षेत्रफल–

पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

(क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व, पचास वर्षो से अधिक पूर्व में संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 100/— रुपये (एक सौ रुपये)

(ख) 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के संनिर्मित पुराने गृहों के लिये— 200/— रुपये (दो सौ रुपये)

(ii) उपर्युक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के लिए, ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की नयी बाजार दरों का 25 प्रतिशत।

परन्तु गरीबी रेखा से नीचे की सूची में सम्मिलित परिवारों से उप—खण्ड (क) के अधीन कोई फीस प्रभारित नही की जायेगी और उपर्युक्त खण्ड (i) के उप—खण्ड (ख) के अधीन केवल 10 प्रतिशत फीस प्रभारित की जायेगी। र
ाजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज नियम, 1996 के नियम 157 के उप नियम (1) के खण्ड (i) के उपखण्ड़ (ख) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षो के दौरान'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''31 दिसम्बर 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान'' प्रतिस्थापित की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जांच प्रतिवेदन (जो जिला जन अभियोग एवं सर्तकता समिति, सिरोही में दर्ज प्रकरण संख्या 32/2022 में शिकायत/परिवाद की जांच के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के द्वारा गठित जांच दल द्वारा जांच कर प्रस्तुत किया गया है) के अवलोकन से एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकर्ड व ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली संख्या 104 दिनांक 22—1—2021 की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन में पुराने गृहों का विनियमितिकरण कर पट्टा जारी करने का अनुरोध किया है, जिस भूमि सम्बन्धी कोई विवरण दर्ज नही है तथा आवेदन पत्र पर आवेदन की तिथि व स्थान भी अंकित नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 के तहत स्थल निरीक्षण हेतु गठित कमेटी का कोई विवरण, ग्राम पंचायत, जावाल की उक्त विक्रय विलेख से संबंधित मिसल/पत्रावली में दर्ज नही है एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर सरपंच एवं वार्ड पंचों के हस्ताक्षर नही है। अप्रार्थी संख्या 2 (दो) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर ग्राम पंचायत की कमेटी द्वारा निरीक्षण किया जाना था, जो कि नही किया गया है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उक्त पट्टा विलेख जारी करने में ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 146 की भी पालना नहीं की गई है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 148 अनुसार यदि पंचायत यह निश्चित करे कि भूमि विक्रय किया जाना है तो उपनियम (2) में अधिकथित रिति से प्रारूप 22 में एक नोटिस प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में, इसके प्रकाशन के सम्बन्ध में एक मास के भीतर—2 आक्षेप आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित करेगी, उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जायेगी तथा दुसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाए जाने के परिणामस्वरूप हस्ताक्षर करने के उपरान्त कार्यालय में लौटाई जायेगी, परन्तु उक्त विक्रय विलेख के संबंध में नियम 148 की भी पालना नही की गई है। ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में दिनांक 12—3—2021 को बैठक किया जाना दर्शाया गया है, उस दिनांक में भी उपरी लेखन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर साक्षी के हस्ताक्षर नही है एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न भूखण्ड़ के रंगीन फोटो के पृष्ठ पर कोई फोटो चस्पा नही है। नजरी नक्शें पर भी आवेदक, गवाह, सरपंच, वार्डपंच एवं सचिव के हस्ताक्षर नही है। उक्त भूमि नियमन व

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

विक्रय के सम्बन्ध में दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती 70 वर्षों के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों के रूप में कब्जे के कोई प्रमाण या सबूत, ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली में मौजूद नही है। ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं जांच रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जावाल की पत्रावली में आज्ञाओं की सूची कार्यवाही विवरण पर सरपंच के हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार, ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी करने में अनियमितता बरती गई है एवं उक्त पूरी कार्यवाही दोषपूर्ण है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव व पट्टा विलेख को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 12–3–2021 एवं ग्राम पंचायत, जावाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (दो) के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 20 दिनांक 15–3–2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19 नवम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही